

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
विभाग, मंत्रालय

//आदेश //

भोपाल, दिनांक 11/01/2018

क्रमांक: एफ 3-22/2013/26-2: सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-22/2013/26-2, दिनांक 20.06.2013 मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2013 संचालित की जा रही है।
2/- उक्त योजना में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार रहेगी :-

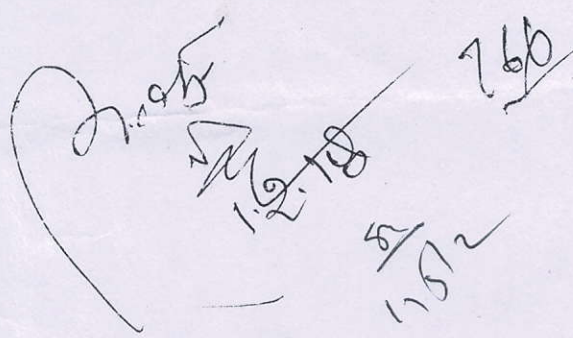
क.	निःशक्तता का प्रकार	सहायता का स्वरूप	प्रथम बार	द्वितीय बार
	दृष्टिबाधित	लेपटॉप	10 वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर।	स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर
2	अस्थिबाधित	लेपटॉप	10 वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर।	स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर।
3	अस्थि बाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60% निःशक्तता)	मोटराईज्ड ड्रायसाइकिल (बैटरी चलित)	9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक में प्रवेश लेने पर।

टीप:- दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटॉप प्राप्त करने पर आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।


(चन्द्रकांत कश्यप)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग


12.1.18
1/1/18